27/1417

राज्य द्वारा एढीपीओ अभियुक्तगण सावन कुमार एवं छिद्दा उर्फ अवधेश अनुपरिश्यत। प्रकरण अभि0गण की उप0 हेतु नियत है। थाना गोहद से अभियुक्तगण के वारंट प्राप्त।

अभियुक्त सावनकुमार का गिरा वारंट इस आशय के पृष्ठांकन सहित प्राप्त कि दिनांक 20.12.17 को अभियुक्त की मृत्यु हो गयी है, आदेशिका के साथ अभियुक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में अभिभाषक द्वारा भी अभियुक्त की मृत्यु की सूचना दी गयी थी। ऐसी दशा में अभियुक्त सावन कुमार की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही उपधित हो जाती है।

प्रकरण अभियुक्त छिद्दा उर्फ अक्षेश का गिर0 वारंट फरारी पंचनामा सिहत प्राप्त कि अभियुक्त काफी दिनों से घर नहीं आया है। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लगभग 6 माह से चल रहा है। प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका तत्परता से निराकरण किया जाना हैं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०संव की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये। अभियुक्त छिद्दा उर्फ अवधेश पुत्र मुन्नालाल मटेले आयु लगभग 42

साल- निवासी जाई हो। 15 कोट का कुंबा गोहद जिला मिण्ड को स्थाया प्राप्त-138-19 गिरफतारी वारट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर

Case No. of 20



Order Sheet [Contd]

Signature of Date of Parties or Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Pleaders where Proceeding necessary जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये। थाना प्रभारी को ज्ञापन सहित वारंट भेजा जावे कि वारंट की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा पर कर प्रतिवेदन सान्हा की प्रति सहित प्रेषित करें। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतू भेजा जाये। Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)